न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 313/2019 निर्णय दिनांक :– 30.08.2022

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. अब्दुल सलाम पुत्र हाजी भुन्दु खां जाति मुसलमान लुहार निवासी बम्बोर दरवाजा पुरानी टोंक।
2. हबीबनूर पुत्र भुन्दु खां जाति मुसलमान लुहार निवासी बम्बोर दरवाजा पुरानी टोंक।

– प्रार्थीगण –

बनाम

बदरीलाल पुत्र जमनालाल जाति मीणा निवासी कंवरपुरा {आगरया} पोस्ट धुवाकलां थाना दूनी जिला टोंक।

– प्रतिपक्षी –

उपस्थिति :–
श्री अशोक कुमार गुप्ता
श्रीमती यामिनी सुवालका
अधिवक्ता प्रार्थीगण

एक पक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त उनवानी वाद आज प्रार्थीगण ने न्यायालय श्रीमान् में पेश कर दिया है जिसमें उन्हे सफलता की पूर्ण आशा है, प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थी सं0 1 की खातेदारी की जमीन ख0नं0 820 रकबा 1.55 है0, ख0नं0 820/910 रकबा 0.85 है0, ख0नं0 855 रकबा 0.88 है0, ख0नं0 856 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 859 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम इन्दोदा तहसील दूनी स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थी नं0 2 की खातेदारी की जमीन ख0नं0 860 रकबा 0.58 है0, ख0नं0 861 रकबा 0.46 है0, ख0नं0 862 रकबा 1.94 है0 वाके ग्राम इन्दोदा तहसील दूनी स्थित है। प्रार्थना पत्र के चरण नं0 2 व 3 में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात है ओर मौके पर काबिज है ओर काश्त कर रहे है। हाल ख0नं0 822 रकबा 1.39 है0 में से प्रार्थी नं0 1 ने जरिये रजि0 विक्रय पत्र 0.08 है0 भूमि खातेदार रशीद, रईस पिसरान भाईजान व जाकिया बेवा भाईजान से खरीद की थी ओर विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण सं0 872 प्रार्थी नं0 1 के नाम खोल दिया गया है तथा उसके नये नं0 1022/822 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम इन्दोदिया राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया गया है। प्रतिपक्षी का प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि से कोई संबंध नहीं है प्रतिपक्षी जाति से मीणा समाज का है ओर आये दिन प्रार्थीगण के खातेदारी के खेतो में मजाहमत करता है ओर प्रार्थीगण को फसल बोने में रूकावट पैदा करता है, बिना प्रार्थीगण की

अनुमति के गड्डे कर देता है ओर प्रार्थीगण को नाजायज रूप से परेशान करता है। प्रतिपक्षी ने दिनांक 30.07.2019 को प्रार्थी नं0 1 गैर हाजरी में उसकी खातेदारी के खेत ख0नं0 1022/822 रकबा 0.08 है0 व ख0नं0 821/910 की पूर्वी मेर पर जबरदस्ती सीमेन्ट पिल्लर व पत्थर के पिल्लर बनाकर गाढ दिये है ओर तारबंदी कर दी है जब प्रार्थी नं0 1 को पता चला तो वह गांव गया ओर प्रतिपक्षी को ओलमा दिया तो लडाई झगडा करने पर मरने–मारने पर उतारू हो गया जिस पर प्रार्थी नं0 1 ने प्रतिपक्षी के खिलाफ थाना घाड में शिकायत दर्ज करवायी जो जेरे तफ्तीश है। प्रतिपक्षी बहुत शरारती व झगडालू किस्म का व्यक्ति है वह ख0नं0 821/910 व ख0नं0 1022/822 की पूर्वी मेर पर कब्जा करने के बाद प्रार्थीगण की खातेदारी के खेतो में भी नाजायज रूप से कब्जा करना चाहता है, प्रार्थीगण फसल बोने जाते है तो बाधा उत्पन्न करता है इस कारण प्रतिपक्षी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वह प्रा0प0 के चरण सं0 2 व 3 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करे, प्रार्थीगण को फसल बोने, काटने में बाधा उत्पन्न नही करे तथा प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत में गड्डे आदि नही खोदे। प्रतिपक्षी नं0 1 ने प्रार्थीगण नं0 1 की खातेदारी के खेत ख0नं0 821/910 व 1022/822 की पूर्वी मेर पर जो पत्थर के पिल्लर गाढकर तारबंदी कर दी है उसको भी हटवाया जावे ओर उस जगह से उसको भी हटवाया जावे ओर उस जगह से उसको बेदखल किया जावे। प्रार्थीगण गरीब, काश्तकार, वृद्ध व्यक्ति है प्रतिपक्षी का मुकाबला करने में असमर्थ है, प्रतिपक्षी आये दिन प्रार्थीगण को एस–टी–एस–सी–का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देता है इस कारण उसको जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रतिपक्षी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पाबंद किया जावे कि वह स्वयं, जरिये ऐजेन्ट, नोकर या अन्य के माध्यम से हाल ख0नं0 820, 821/910, 855, 856, 857, 859, 861, 862 वाके ग्राम इन्दोदा तहसील दूनी में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार मजाहमत नही करे प्रार्थीगण को फसल बोने व काटने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे तथा प्रार्थीगण के खेतो में किसी प्रकार से गड्डे नही खोदे, प्रतिपक्षी द्वारा जो 821/910 व ख0नं0 1022/822 की पूर्वी मेर पर जो पत्थर के पिल्लर गाढ कर तारबंदी कर दी है, उस जगह से प्रतिपक्षी को बेदखल किया जाकर तारबंदी को हटवाया जावे ओर ताफैसला वाद पाबंद किया जावे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी का प्रार्थीगण की भूमि से कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं है। अप्रार्थी प्रार्थीगण की भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा करना चाहता है, लडाई झगडा करने व

मारपीट पर उतारू हो जाता है। प्रार्थी नें अप्रार्थी के खिलाफ घाड़ थाने में शिकायत भी की है। अप्रार्थी ने जबरदस्ती ही प्रार्थी की भूमि पर सीमेन्ट के पील्लर व पत्थर गाड दिये है और तारबन्दी कर दी है। प्रांर्थी के खातेदारी हितो पर कुठाराघात है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को प्रार्थी की भूमि से बेदखल किया जावे, अप्रार्थी द्वारा की गई तारबन्दी को हटवाया जावे। ताफैसलावाद अप्रार्थी को पाबन्द किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजे जमाबन्दी संम्वत 2074–77 का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि खातेदारी की जमीन ख0नं0 820 रकबा 1.55 है0, ख0नं0 821/910 रकबा 0.85 है0, ख0नं0 855 रकबा 0.88 है0, ख0नं0 856 रकबा 0.04 है0, ख. नं. 857 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 859 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम इन्दोदा तहसील दूनी हाल तहसील नगरफोर्ट व इसी प्रकार प्रार्थी नं0 2 की खातेदारी की जमीन ख0नं0 860 रकबा 0.58 है0, ख0नं0 861 रकबा 0.46 है0, ख0नं0 862 रकबा 1.94 है0 वाके ग्राम इन्दोदा तहसील दूनी हाल तहसील नगरफोर्ट पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है जिसको अप्रार्थी संख्या 1 खुर्द बुर्द करना चाहता है। अप्रार्थी का उक्त विवादित आराजी से राजस्व रिकॉर्ड में कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। नियमित वाद व प्रार्थना पत्र में भी अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। अप्रार्थी को उक्त विवादित आराजी बाबत कोई आपति होती तो न्यायालय में उपस्थित होकर नियत तारीख पेशी को अपना उज्र पेश करता । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह प्रार्थी संख्या 1 खातेदारी की जमीन ख0नं0 820 रकबा 1.55 है0, ख0नं0 821/910 रकबा 0.85 है0, ख0नं0 855 रकबा 0.88 है0, ख0नं0 856 रकबा 0.04 है0, ख. नं. 857 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 859 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम इन्दोदा तहसील दूनी हाल तहसील नगरफोर्ट व इसी प्रकार प्रार्थी नं0 2 की खातेदारी की जमीन ख0नं0 860 रकबा 0.58 है0, ख0नं0 861 रकबा 0.46 है0, ख0नं0 862 रकबा 1.94 है0 वाके ग्राम इन्दोदा तहसील दूनी हाल तहसील नगरफोर्ट में प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में मजामहत व बाधा नहीं करे तथा प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे। मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति उभयपक्ष पक्षकारान मूल वाद तक बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद पूर्ति वाद के साथ पृष्ठ में हमफिता हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली